# कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 09/14 तिथि–05.05.2015

कामेश्वर मिश्रा बनाम प्रदीप चौधरी (ताजपुर मंगुराहाँ, मोतीपुर)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

## निर्णय

परिवादी श्री कामेश्वर मिश्र द्वारा दिनांक–26.03.2014 को मनरेगा योजना में भयंकर लूट खसोट से संबंधित आवेदन दिया है। जिसमें सरकार द्वारा विकास के लिये क्रियान्वित योजनाओं में लूट–खसोट हुआ है और हो रहा है। इसके देख–रेख में लगे संबंधित पदाधिकारी भी कभी सार्वजनिक तौर पर जाँच पड़ताल नहीं किए। जाँच पड़ताल करने वाले पदाधिकारी प्रखंड एवं जिला में बैठे–बैठे केवल कागजी खानापूर्ति किये है। संबंधित डाकघर बिरहीमा बाजार से जब मनरेगा श्रमिकों की सूची आर0टी0आई0 द्वारा लिया गया तो सभी योजनाओं में खास लोगों के नाम पर ही रूपये की निकासी संबंधित उप डाकघर के डाकपाल के मिली भगत से किया गया है। सभी योजनाओं में श्रमिकों के श्रेणी में सीमित लोगों का ही नाम है। जिसमें कुछ लोग काफी संभ्रात परिवार के हैं। बूढ़े हैं। कुछ लोग परदेश रहते है और श्रमिक लोग कभी भीं डाकघर में पैसा की निकासी करने नहीं जाते। पंचायत रोजगार सेवक से आर0टी0आई0 के द्वारा सूची मांगा गया लेकिन सूची स्पष्ट नही दिया गया। पचायत रोजगार सेवक के द्वारा दिया गया पत्र में यह लिखा गया था कि 50(पचास लाख)रू0 वृक्षारोपण में लगा जिसको पढ़कर सभी पंचायत वासी दंग रह गये। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत रोजगार सेवक केवल कागजी खानापूर्ति करते है। इस योजना को सही ढ़ंग से चलाने के लिए जाँच की मांग की गयी है।

इसमें पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दिया गया जवाब से यह स्पष्ट होता है कि कहीं से कोई लूट–खसोट नहीं हुआ है और न हो रहा हैं। शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद है। मनरेगा योजना श्रमिक मांग संबंधी योजना है। वैसे व्यक्ति जो कार्य कर सकते है और जो कार्य करने के इच्छुक है तथा जो निबंधित है जॉब कार्ड बना हुआ है, को कार्य दिया जाता है। अन्यथा जिन व्यक्ति के पास जॉब कार्ड नहीं बना है उनका नाम से एक आवेदन लेकर निबंधन पंजी में दर्ज करके जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। तत्पश्चात् वह कार्य के लिए पंचायत रोजगार सेवक/मुखिया को देता है तब उन्हें 15 दिन के अन्दर कार्य उपलब्ध कराया जाता है।

शिकायतकर्त्ता द्वारा कागजी खानापूर्ति की बात कही गयी है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। समय–समय पर जिले से नियुक्त पदाधिकारी द्वारा जाँच किया जाता है तथा इनको जाँच प्रतिवेदन संबंधित जिला के वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है।

यह कि शिकायतकर्त्ता द्वारा डाकघर बिरहीमा बाजार से सूचना के अधिकार के तहत जो श्रमिक की सूची उन्हें प्राप्त हुई हैं। उनमें सभी श्रमिकों ने पंचायत में मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर विभिन्न कार्यस्थल पर कार्य किया है और भुगतान संबंधित उप डाकघर बिरहीमा बाजार से स्वयं जाकर प्राप्त किया है और जिस व्यक्ति ने कार्यस्थल पर कार्य किया है उन्ही व्यक्तियों का नाम दिया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक एव मुखिया का कहना है कि मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य करने के लिए कोई बंदिश नहीं है। चाहे वह संभ्रात परिवार के हो या किसी निम्न श्रेणी के या बूढ़े व्यक्ति हो इच्छुक हो तथा जो कार्य कर सकते हैं उन्हें ही कार्य दिया जाता हैं।

पंचायत रोजगार सेवक एव मुखिया का कहना है कि श्री मिश्र के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जो सूचना मांगी गयी थी वह उन्हें कंडिकावार उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन दिये गये वृक्षारोपण संबंधित योजना में 50,000.00 (पचाय हजार रू0) की बात नहीं कहीं गई हैं जिसका जिक्र उन्होंने अपने शिकायत पत्र में दिया है। शिकायतकर्त्ता श्री मिश्र द्वारा वृक्षारोपण सहित अन्य सभी योजनाओं में खानापूर्ति की शिकायत बेबुनियाद हैं। जिन व्यक्तियों/मजदूरों ने जब तक कार्य किया उनको उनके कार्य के अनुसार भुगतान कर दिया गया है।

सुरेश चन्द्र सिन्हा उप डाकपाल बीरहीमा बाजार, मुज0 ने दिनांक–10.03.2014 को अपना बयान दिया है कि मनरेगा भुगतान प्राप्तकर्त्ता का पासबुक खुला है जो प्राप्तकर्त्ता मेरे यहाँ आता है एवं निकासी फार्म पासबुक के साथ भुगतान लेने हेतु देता है उसे पासबुक, नमूना हस्ताक्षर का मिलान एवं प्राप्तकर्त्ता का फोटो देख कर भुगतान किया जाता है। शिकायतकर्त्ता ने सरासर गलत एवं मनगढ़ंत शिकायतें की है।

शिकायतकर्त्ता सुरेन्द्र तिवारी, मो0 मुन्ना, महेन्द्र साह, रामबाबू सिंह, कुंजन भगत, शंभू भगत, अमीर राय, मियांजान मियाँ, सुलेमान मियाँ, बाबूलाल महतो एवं बिनोद महतो ने आवेदन दिया है जिसमें निम्न बातें कही है :–

01. ग्राम पंचायत मंगूराहाँ ताजपुर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जबाव में सरकारी कार्य करने के विभागीय प्रावधानों एवं नियमावलियों का उल्लेख किया गया है। जबकि जबाव में क्रियान्वित कार्यो के संबंध में यथा वृक्षारोपण से संबंधित योजना का नाम योजना की प्राक्कलन राशि श्रमिकों का भुगतान की गई राशि का मस्टर रॉल पौधों की वर्त्तमान भौतिक स्थिति।
02. डाकपाल द्वारा प्रस्तुत जवाब भी गोल मटोल है जबकि उनके जवाब में निकासी फार्म की छायाप्रति श्रमिकों द्वारा किया गया हस्ताक्षर/निशान के नमूने की छायाप्रति एवं पासबुक की छायाप्रति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
03. शपथकर्त्ताओं का कहना है कि हमलोगों से माननीय मुखिया, बकरी पालन एवं शौचालय निर्माण हेतु फार्म पर हस्ताक्षर/निशान कराये एवं फोटो लिये हम श्रमिक लोग मात्र हस्ताक्षर/निशान ही करना जानते है किसी फार्म पर लिखी बातों को न पढ़ सकते है और न समझ सकते है। हमलोग किसी भी डाकघर में जाकर खाता नहीं खुलवाए है। हमलोगों के साथ धोखेबाजी, जालसाजी एवं अन्याय किया गया है। अगर हमलोग खाता खुलवाने जाते तो पासबुक अवश्य मिलता।

रामपुकार साह, कुंजन भगत, बाबूलाल भगत, सुलेमान मियाँ, मियाँ जान मियाँ, बिनोद महतो, विपिन तिवारी, गजेन्द्र राम एवं मो0 मुन्ना इनलोगों ने शपथ पत्र दिया है कि :–

01. ग्राम पंचायत राज –मंगुराहाँ ताजपुर मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किये गये कार्यो से मैं आज तक किसी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं लिया हूँ तथा मेरे नाम से उपरोक्त योजनाओं का गारंटी कार्ड भी नहीं दिया है।
02. यह कि मेरे नाम से स्थानीय डाकघर में न खाता खुला है और नहीं मैं किसी प्रकार के भुगतान ही पाया हूँ।
03. यह कि कुछ दिन पूर्व मुझे पता चला है कि मेरा नाम उपरोक्त योजनाओं में दर्ज है तथा मैं डाकघर से कुछ रकम भी प्राप्त किया हूँ जो पूणतः गलत है।
04. यह कि मेरे नाम से कोई निकासी हुई हो तो वो बिलकुल नाजायज और जालसाजी है जिसकी जाँच कराई जाए एवं दोषी पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

## –: विचारणीय बिन्दु :–

01. क्या रामपुकार साह, कुंजन भगत, बाबूलाल भगत, सुलेमान मियाँ, मियाँ जान मियाँ, बिनोद महतो, विपिन तिवारी, गजेन्द्र राम एवं मो0 मुन्ना के नाम से खुला खाता फर्जी है और क्या इनकी मजदूरी दिखाकर धोखे से पैसे का गबन किया गया?
02. क्या आवेदक के अनुसार बताई गयी योजनाओं में भ्रष्टाचार के द्वारा सार्वजनिक ढ़ंग का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरूपयोग किया गया है यदि हाँ तो किसके द्वारा?

## –: निष्कर्ष :–

पत्रावली का अवलोकन किया जिसका निबंध सं0–0325 मियाँ जान मियाँ, निबंधन सं0–0272 विश्वनाथ महतो, निबंधन सं0–0180 शंभू भगत, निबंधन सं0–1149 गजेन्द्र कुमार राम, निबंधन सं0–1134 बिनोद तिवारी, निबंधन सं0–903 राम पुकार साह, निबंधन सं0–812 विपिन तिवारी, निबंधन सं0–0377 सुलेमान मियाँ, निबंधन सं0–0387 कुनजन भगत, निबंधन सं0–0279

बाबू लाल महतो एवं निबंधन सं0–1643 सुरेश राम इनलोगों ने निबंधन पत्र की छायाप्रति दिया है।

मो0 मुन्ना, सुरेश राम, शंभु भगत, कुनजन भगत, विपिन तिवारी, विश्वनाथ महतो, बाबूलाल महतो, बिनोद तिवारी, राजेन्द्र राम, मियाँ जान मियाँ एवं रामपुकार साह द्वारा दिया गया बिहार ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के लिए आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न की गई है।

01. पंचायत रोजगार सेवक ने अनुबंद्ध–19 प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इन मजदूरों ने काम मांगा था। तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भी सम्यक रूप से कार्यो का निरीक्षण नहीं किया। ऐसी स्थिति नही होती। इसलिए विशेषतः इन लोगो की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करें कि सही मजदूर काम कर रहे है उनकी हाजरी सही तरीके से बन रही है और उन्हे सही तरीके से भुगतान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरे सम्मुख तीन व्यक्तिओं ने बयान दर्ज कराया जो निम्न प्रकार है। "मुझे कहना है कि मैंने मनरेगा में कभी कोई काम नहीं किया है। जॉब कार्ड भी नहीं बना है। पासबुक भी नहीं बना है। श्री कामेश्वर मिश्र ने बताया कि मेरे नाम पर मनरेगा में पैसा का भुगतान हुआ। मैंने खुद इसके बाद भी जानने की कोशिश नहीं कि कब और कितना पैसा निकला है।"

निम्न लोगों के संदर्भ में कार्य का विवरण और वित्तीय वर्ष का उल्लेख करते हुए एक चार्ट पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दिया गया :–

| क्र0 | नाम | निबंधन संख्या | डाकघर खाता संख्या |
|---|---|---|---|
| 01 | मियाँ जान मियाँ | 325 | 8530868 |
| 02 | मो0 मुन्ना | 1185 | 85302063 |
| 03 | शंभु भगत | 180 | 85301222 |
| 04 | महेन्द्र साह | — | — |
| 05 | कुंजन भगत | 0387 | 85301205 |
| 06 | सुरेन्द्र तिवारी | — | — |
| 07 | रामबाबू सिंह | — | — |
| 08 | अमीर राय | — | — |
| 09 | सुलेमान मियाँ | 0377 | 85301423 |
| 10 | बाबूलाल महतो | 0279 | 85301830 |
| 11 | बिनोद महतो | 0272 | 8533136 |

जिनलोगों ने शपथ–पत्र दाखिल किया है उनमें से रामपुकार साह के मृत हो जाने की सूचना आवेदक द्वारा बताई गयी है। इस प्रकार यह शपथ–पत्र धारा–32 भारतीय साक्ष्य के अनुरूप ग्राहय बताया गया है। Statement of job के अनुसार मो0 मुन्ना, मो0 मियाँ जान मियाँ एवं शंभु भगत के खाते में पैसा भेजा गया है लेकिन इनके बयान के अनुसार न तो इन्होंने कभी कोई काम किया है, न जॉब कार्ड बना है, न पासबुक बना है। जबकि मुखिया के तरफ से निबंधन की छायाप्रति दी गई है। जिसमें इनलोगों की तस्वीर भी लगी है तथा इनका हस्ताक्षर भी है। ऐसी स्थिति में जहाँ मजदूर शपथ–पत्र या बयान के जरीए यह कह रहे है कि उन्होंने न काम किया है और न पासबुक खोला हैं और पंचायत रोजगार सेवक और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निबंधन पंजी की छायाप्रति दी जा रही है। जिसमें इनका फोटो और हस्ताक्षर भी है तथा जॉब Statement से यह स्पष्ट है कि इनके नाम से पैसा निकाल लिया गया है तो यह विषय मात्र जाँच से स्पष्ट नहीं होगा। इसके लिए पूरे मामले का सम्यक् अनुसंधान करना जरूरी होगा। इस पूरे प्रकरण में स्पष्टतः दो बातें सामने है 01. पंचायत रोजगार सेवक द्वारा दाखिल मो0 मुन्ना आदि परिवादी द्वारा मांगे गए काम की निबंधन पंजी की छायाप्रति जिससे यह पता चलता है कि इन्होंने काम माँगा था। 02. job Statement से स्पष्ट है कि इनका एक एकाउण्ट नम्बर भी था जिसमें पैसे का भुगतान किया गया। जबकि दूसरी तरफ इन्होंने शपथपत्र के द्वारा इन तथ्यों से इन्कार किया। अतः इसमें जाँच के स्थान पर हस्ताक्षर वगैरह का मिलान करवाने की

आवश्यकता होगी एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी लेना होगा जो सम्यक अनुसंधान के द्वारा ही हो सकता है। अतः परिवादीगण अपने मामले में सक्षम न्यायालय में पूर्ण तथ्यों के साथ परिवाद पत्र दाखिल कर सम्यक विधिक कार्रवाई कर सकते हैं।

अतः इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाए और पीड़ित व्यक्ति भी यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना वाद दाखिल कर सकते है। जहाँ तक बागवानी की योजनाओं में गड़बड़ी की बात है उसके संदर्भ में डी0पी0सी0 एक विशेष टीम का गठन कर वर्ष–2009–10, 10–11, 11–12 एवं 12–13 की विशेष जाँच 3 माह के अन्दर करावें कि कितने पौधा लगाये गये, कितने अभी उपलब्ध है, कितने की परिसम्पति सृजन हुई है और यदि इसमें कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो अपने स्तर से उचित कार्रवाई विभागीय निदेश के अनुसार करें।

## –: आदेश :–

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :–

01. इस मामले में मजदूरों के भुगतान के संदर्भ में चूँकि प्रथम द्रष्ट्या गबन व आपराधिक कृत्यों का मामला प्रतीत होता है। अतः प्रभावित व्यक्ति यदि चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते है।
02. रामपुकार साह, कुंजन भगत, बाबूलाल महतो, सुलेमान मियाँ, मियाँ जान मियाँ, बिनोद महतो, विपीन तिवारी, गजेन्द्र राम, मो0 मुन्ना को जो पैसा भुगतान किया गया है उसे जोड़कर आधा–आधा तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी और तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक से वसूली कर ली जाए।

ह/०

**लोकपाल (मनरेगा),**
**मुजफ्फरपुर।**

**ज्ञापांक** 50 / **मुज0,दिनांक–** 05/05/**2015**

**प्रतिलिपि :–** प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

**प्रतिलिपि :–** जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ समर्पित कि विभागीय ज्ञापांक–175362 दिनांक–27.01.2014 के कंडिका 14.2 के आलोक में ए0टी0आर0 भेजने की कृपा की जाए।

**प्रतिलिपि :–** जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

**प्रतिलिपि :–** संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
5-5-2015

**लोकपाल (मनरेगा),**
**मुजफ्फरपुर।**